Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जोधपुर में क्षेत्रिय वन अधिकारी एवं उसका पति (प्राईवेट व्यक्ति) 8 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *23 मई, मंगलवार* / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जोधपुर–ग्रामीण इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये श्रीमति एम.एस. अनोप क्षेत्रिय वन अधिकारी रेंज बिलाड़ा नाका बावड़ी जिला जोधपुर एवं श्री जय प्रकाश (प्राईवेट व्यक्ति आरोपिया पति) को परिवादी से **8 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की जोधपुर–ग्रामीण इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरे ट्रेक्टर ट्राली से पत्थर ढोने का कार्य चलने देने की एवज में श्रीमति एम.एस. अनोप क्षेत्रिय वन अधिकारी रेंज बिलाड़ा नाका बावड़ी जिला जोधपुर द्वारा **10 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जोधपुर के **महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** के सुपरवीजन में एसीबी जोधपुर–ग्रामीण इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ओमप्रकाश चौधरी** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **श्रीमती अनु चौधरी, पुलिस निरीक्षक** मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये श्रीमती एम.एस. अनोप पत्नि श्री जयप्रकाश निवासी गांव खांगटा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर हाल क्षेत्रिय वन अधिकारी रेंज बिलाड़ा नाका बावड़ी जिला जोधपुर एवं श्री जयप्रकाश पुत्र श्री घेवर राम निवासी गांव खांगटा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर (प्राईवेट व्यक्ति आरोपिया पति) को परिवादी से **8 हजार रुपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।